वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(1):: मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 30 जुलाई, 2021 को मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित वनोपज (खनिज वनोपज, लघु वनोपज एवं बाँस को छोड़कर) से संबंधित शुल्क दरों की सीमा तक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त वनोपज के राज्य के भीतर अथवा बाहर परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार शुल्क विहित करता है:—

वनोपज की मात्रा	देय शुल्क
एक घनमीटर तक	₹200/-
एक घनमीटर से अधिक	प्रथम घनमीटर तक ₹200 एवं प्रत्येक अतिरिक्त घनमीटर हेतु ₹100; यदि अतिरिक्त मात्रा एक घनमीटर से कम और 1/2 घनमीटर या उससे अधिक है, तो उसकी गणना एक घनमीटर के रूप में की जाएगी। यदि 1/2 घनमीटर से कम है, तो उसकी गणना शून्य की जाएगी।

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्ययस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक/एफ-30-08/2002/10-3(1):: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ-30-08/2002/10-3(1), दिनांक 02-10-2026** का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्ययस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 2nd October 2026

No. F-30-08/2002/10-3(1):: In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022, and in supersession of this Department's Notification No. F-30-08-2002-X-3, dated 30th July, 2021, to the extent of the rates of fees relating to forest produce produced in the State of Madhya Pradesh (except mineral forest produce, minor forest produce and bamboo), the State Government hereby prescribes the following fees to be recovered for the issue of a Transit Permit/No-objection Certificate for transportation of such forest produce within or outside the State:—

Quantity of forest produce	**Fee payable**
Up to one cubic metre	₹ 200/-
More than one cubic metre	₹ 200/- for the first cubic metre and ₹ 100/- for each additional cubic metre. If a fractional part of the additional quantity is less than one cubic metre and equal or more than half a cubic metre, it shall be counted as one cubic metre. If it is less than half a cubic metre, it shall be counted as zero.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(2):: मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 05 मार्च, 2020 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-9-दस-3-2001 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे यथा उल्लिखित खनिज वनोपज के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु वसूली किए जाने के लिए निम्नलिखित शुल्क विहित करता है:—

अ. क्र.	वनोपज का नाम	देय शुल्क
1.	लाइम स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, मैंगनीज अयस्क, कॉपर अयस्क, रॉक फॉस्फेट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, ऑकर, बॉक्साइट, आयरन अयस्क, कैल्साइट, कोयला, क्वाट्र्ज, सिलिका सैंड, शेल, स्लेट एवं सोप स्टोन	रुपये 81/- प्रति टन
2.	फ्लैग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एवं मिट्टी पत्थर	रुपये 52/- प्रति घनमीटर

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्ययस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक/एफ-30-08/2002/10-3(2):: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ-30-08/2002/10-3(2), दिनांक 02-10-2026** का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्ययस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 2nd October 2026

No. F-30-08/2002/10-3(2):: In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022, and in supersession of this Department's Notification No. F-5-9-X-3-2001, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), dated 5th March, 2020, the State Government hereby prescribes the following fees to be recovered for the issue of a Transit Permit for transportation of the mineral forest produce mentioned below:—

S. No.	Name of forest produce	Fee payable
1.	Limestone, dolomite, fire clay, manganese ore, copper ore, rock phosphate, pyrophyllite, diaspore, ochre, bauxite, iron ore, calcite, coal, quartz, silica sand, shale, slate and soapstone	Rs. 81/- per tonne
2.	Flagstone, granite, marble and gravel stone	Rs. 52/- per cubic metre

This notification shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक एफ-30-08/2002/10-3(3):: मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-7-99-दस-3, दिनांक 08 अप्रैल, 2002 के अंतर्गत आयातित वनोपज के लिए निर्धारित शुल्क दरों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में आयातित वनोपज के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार शुल्क विहित करता है:—

वनोपज की मात्रा	देय शुल्क
एक घनमीटर तक	₹200/-
एक घनमीटर से अधिक	प्रथम घनमीटर तक ₹200 एवं प्रत्येक अतिरिक्त घनमीटर हेतु ₹100; यदि अतिरिक्त मात्रा एक घनमीटर से कम और 1/2 घनमीटर या उससे अधिक है, तो उसकी गणना एक घनमीटर के रूप में की जाएगी। यदि 1/2 घनमीटर से कम है, तो उसकी गणना शून्य की जाएगी।

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्ययस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक/एफ-30-08/2002/10-3(3):: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ-30-08/2002/10-3(3), दिनांक 02-10-2026** का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्ययस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 2nd October 2026

No. F-30-08/2002/10-3(3):: In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2022, and in supersession of the rates of fees prescribed for imported forest produce under this Department's Notification No. F-30-7-99-X-3, dated 8th April, 2002, the State Government hereby prescribes the following fees to be recovered for the issue of a Transit Permit/No-objection Certificate for transportation of forest produce imported into Madhya Pradesh:—

Quantity of forest produce	Fee payable
Up to one cubic metre	₹ 200/-
More than one cubic metre	₹ 200/- for the first cubic metre and ₹ 100/- for each additional cubic metre. If a fractional part of the additional quantity is less than one cubic metre and equal or more than half a cubic metre, it shall be counted as one cubic metre. If it is less than half a cubic metre, it shall be counted as zero.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

//शुद्धि-पत्र//

क्रमांक एफ-1057/2022/10-3:: माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक **W.P. No. 8512/2009,** रामप्रसाद कुशवाहा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक **29.08.2022** के अनुपालन में तथा उपलब्ध मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक **एफ-5-65-89-10-3(1), दिनांक 19.10.1989,** जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक **03.11.1989** को प्रकाशित हुई थी, की अनुसूची में वनखण्ड **मधुवन**, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ के संबंध में अंकित निम्नलिखित प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण होने से एतद्द्वारा विलोपित की जाती हैं।

क्र.	वनखण्ड	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	मधुवन	2	1.825
2.	मधुवन	5	2.023
	योग		3.848

उपरोक्त प्रविष्टियों के विलोपन के अतिरिक्त उक्त अधिसूचना की शेष प्रविष्टियां एवं प्रावधान यथावत प्रभावशील रहेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर 2026

क्रमांक/एफ-1057/2022/10-3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1057/2022/10-3 दिनांक 02-10-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 2nd October 2026

//CORRIGENDUM//

No. F-1057/2022/10-3:: In compliance with the order dated **29.08.2022** passed by the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in **W.P. No. 8512/2009, Ram Prasad Kushwaha versus State of Madhya Pradesh and Others**, and upon examination of the original records, the following entries appearing in the Schedule to Government of Madhya Pradesh, Forest Department Notification No. **F-5-65-89-10-3(1), dated 19.10.1989**, published in the Madhya Pradesh Gazette on **03.11.1989**, relating to Forest Block **Madhuwan,** Tehsil and District Tikamgarh, having been found to be erroneous, are hereby **deleted**:—

S. No.	Forest Block	Khasra No.	Area (Hectares)
1	Madhuwan	2	1.825
2	Madhuwan	5	2.023
	Total		**3.848**

Except for the deletion of the aforesaid entries, all other entries and provisions of the said Notification shall remain unchanged and continue to be in force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANKIT PANDEY, Officer on Special Duty.